Annexure

स्पीड पोस्ट

12

उत्तरांचल शासन
पंचायती राज एवं ग्राममीण अभियत्रंण सेवा अनुभाग
संख्या 548 /XII/05/92(9)/2005
देहरादून, दिनांक 08 जुलाई, 2005

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग उत्तरांचल, द्वारा राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा, 2002 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तरांचल पंचायती राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर रूपये 6500– 200–10500 के वेतनमान में नियुक्त करते हुए उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि(जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा दिनांक 25–7–2005 से 12 सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु इन अभ्यर्थियों को उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर,ऊधमसिंहनगर में योगदान करने हेतु निर्देशित भी करते हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा इस पद पर नियुक्ति के लिए इन्हें अनुपयुक्त घोषित करते हुए परिवीक्षा अवधि के दौरान ही उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी:–

क0सं0	आयोग द्वारा घोषित कमांक	अभ्यर्थी का नाम	पता	श्रेणी
1	1	श्री मनोज कुमार तिवारी	द्वारा श्री रामधन मिश्रा, 387/28 B/104 D नेता चौराहा, आलापुर, इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश ।	सामान्य
2.	3	श्री अतुल प्रताप सिंह	22/4, मास्टर जहरुल हसन मार्ग,कटरा इहालाबाद, उत्तर प्रदेश ।	सामान्य
3	4	सुश्री पूनम पाठक	32–मानस मन्दिर, लक्ष्मी सदन न्यू कालोनी धारानौला, अल्मोड़ा, उत्तरांचल ।	सामान्य(उ0म0)

2 इन अभ्यर्थियों की सेवा की शर्ते उत्तरांचल (उ0प्र0 जिला पंचायत राज अधिकारी(समूह"ख") नियमावली–2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एवं इस संबंध में"समय–समय पर जारी किये गये संशोधन एवं इस संबंध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी की गयी अन्य नियमावलियों व शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी ।

3 जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त ही उपर्युक्त में से सफल अभ्यर्थियों को उक्त पद पर तैनाती के आदेश अलग से जारी किये जाएंगे। उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान,रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर को यह अधिकार होगा कि वे 12 सप्ताह के प्रशिक्षण में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु यदि आवश्यकता हो तो अभ्यर्थियों को या अभ्यर्थियों के समूह को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जानकारी के लिए फील्ड प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ मण्डलों या जनपदों से सम्बद्ध करें। अधिशासी निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे प्रशिक्षण काल में अपने स्तर से आवश्यकता होने पर कृषि विश्व विद्यालय

कमशः 2 पर

114

[illegible] उत्तरांचल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह को प्रशिक्षण हेतु भेजेंगे परन्तु इस हेतु सम्बद्धीकृत संस्थान के अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी(प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी सम्भव है)।

4. प्रशिक्षण काल में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन सम्बन्धी समस्त नियमों और समय–समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन करना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण काल में अभ्यर्थी ड्यूटी/कर्तव्य पर माने जाएंगे तथा इन्हें वेतन एवं अनुमन्य भत्ते [illegible] शर्तों पर मिलते रहेंगे।

5. इन अभ्यर्थियों का स्थायीकरण एवं उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में राज्य की कार्मिक नीति के अधीन प्रसारित सामान्य नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

6. उक्त प्रशिक्षण दिनांक 25–7–2005 से आरम्भ हो जायेगा। अतः प्रस्तर–1 में उल्लिखित समस्त अभ्यर्थियों को उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर को दिनांक 24.07.2005 के पूर्वान्हन तक अपनी योगदान सूचना अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करनी होगी।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, अधिवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू होता हो तो) की प्रमाणित प्रतियां, चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण–पत्र, एक से अधिक पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (लागू होने पर), चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा–पत्र जिसके वे स्वामी हों, अपना वायोडाटा, इण्डियन सिक्रेटस एक्ट–1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा तथा [illegible] के कर्जदार न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न करने पर संस्थान के अधिशासी निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में प्रवेश की अनुमति प्रदान न करें ।

8. प्रशिक्षण हेतु निर्दिष्ट संस्थान तक जाने /पहुँचने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा ।

9. इन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा परिषद द्वारा प्रशिक्षण सत्र के दौरान उक्त संस्थान में ही किया जायेगा । स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने पर अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल समाप्त करते हुए इनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

10. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण काल में भोजन एवं आवास का नियमानुसार व्यय वहन करना होगा।

11. संस्थान एवं सम्बद्धीकरण संस्थान अथवा जनपद की भौगोलिक स्थिति के अनुरुप [illegible] हेतु मौसम अनुकूल कपड़ों की व्यवस्था तथा पुरुष अभ्यर्थियों को एक सफेद हाफपैन्ट, टी–शर्ट एवं एक जोड़ी सफेद पी.टी.शूज एवं महिला अभ्यर्थी को सफेद सलवार कुर्ता एवं एक जोड़ी सफेद पी.टी.शूज की व्यवस्था स्वयं करनी आवश्यक होगी उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय समारोहों एवं अन्य औपचारिक अवसरों हेतु पुरुष अभ्यर्थियों को एक काला बन्द गले का कोट एवं सफेद /कीम कलर की पैन्ट तथा महिला अभ्यर्थी को सफेद/ कीम कलर की साड़ी लाल बार्डर(किनारे)एवं सफेद/कीम कलर की ब्लाउज की भी व्यवस्था करना उपयुक्त होगा ।

12. यह नियुक्ति उत्तरांचल मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जांच के अधीन हैं । यदि किसी अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र अवैध पाया जाता है तथा पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त सकारात्मक नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

पी0के0 महान्ति
सचिव

(14)

संख्या 548 /XII/05/92(9)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर सचिव, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन को उनके पत्र संख्या 1783/XXX(2)/2005 दिनांक 28.06.2005 के क्रम में सूचनार्थ।

2– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।

3. परीक्षा नियंत्रक,लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार ।

4. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तरांचल पौड़ी ।

5. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल ।

6. निदेशक, पंचायती राज उत्तरांचल देहरादून ।

7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरांचल ।

9. अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल ग्राम्य विकास संस्थान,रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 25.07.2005 से प्रारम्भ होने वाले परीक्षण कार्यक्रम में इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का कष्ट करें

10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तर–1 में उल्लिखित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के दौरान ही स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

11. निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि सरकारी गजट के आगामी अंक में इसे प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें ।

12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।

13. संबन्धित अभ्यर्थी ।

14. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव ।